

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1808
उत्तर देने की तारीख : 10.12.2025

नई उड़ान और नया सवेरा योजनाओं का क्रियान्वयन

1808. श्री गौरव गोगोई:

डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्ववर्ती नई उड़ान और नया सवेरा योजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भ से लेकर अब तक आवेदकों की संख्या, नामांकित व्यक्तियों की संख्या और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भ से लेकर अब तक सहायता प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों की संख्या का परीक्षा-वार और वर्षवार ब्यौरा क्या है, जिन्होंने बाद में संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों तथा अन्य अर्हक अथवा भर्ती परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है;

(ग) योजना को लागू करने के लिए पैनल में शामिल परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) का ब्यौरा क्या है, क्या पैनल में शामिल किसी एजेंसी को रद्द किया गया, उन्होंने अपना नाम वापस लिया या उन्हें बीच में हटाना पड़ा और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या किसी पैनल को रद्द, वापस या बंद कर दिया गया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, साथ ही वे कौन सी विशेष परियोजना के लिए पैनल में शामिल किए गए थे और प्रशिक्षित उम्मीदवारों के प्लेसमेंट सहित उनकी सफलता दर वर्ष-वार क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरन रीजीजू)

(क) से (घ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'नई उड़ान' योजना लागू की है।

इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने "अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों/छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना/नया सवेरा" नामक एक योजना भी लागू की, जिसके तहत तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हक परीक्षाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, रेलवे आदि सहित केंद्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत समूह 'क', 'ख' और 'ग' सेवाओं और अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी

परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों/अभ्यर्थियों की सहायता के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की गई।

'नई उड़ान' और 'नया सवेरा' योजनाएँ वित्तीय वर्ष 2022-23 से बंद कर दी गई हैं। 'नई उड़ान' योजना के अंतर्गत लाभान्वित छात्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-I में संलग्न है। इसके अलावा, 'नया सवेरा' योजना के तहत लाभान्वित/प्रशिक्षित लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-II में संलग्न है।

नई उड़ान योजना के अंतर्गत, वित्तीय सहायता केवल उन छात्रों को प्रदान की गई थी जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक परीक्षाएं और अन्य अर्हता या भर्ती परीक्षाएं उत्तीर्ण की थीं। हालांकि, जिन छात्रों ने अंततः परीक्षा उत्तीर्ण की, उनके विवरण इस योजना के अंतर्गत नहीं रखे जाते।

'नई उड़ान' योजना के अंतर्गत, वित्तीय सहायता सीधे सफल उम्मीदवारों को प्रदान की गई। इसके अलावा, 'नया सवेरा' योजना के अंतर्गत, योजनाओं को लागू करने हेतु नियुक्त परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

अनुबंध-I

'नई उड़ान और नया सवेरा योजनाओं का क्रियान्वयन' विषय पर श्री गौरव गोगोई और डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 10.12.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1808 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

32	चंडीगढ़	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
33	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	दिल्ली	8	32	24	5	6	5	3	9	15	2
36	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	पुदुचेरी	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
कुल योग		483	786	1071	858	1427	118 2	153 9	832	1641	346

'नई उड़ान और नया सवेरा योजनाओं का क्रियान्वयन' विषय पर श्री गौरव गोगोई और डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 10.12.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1808 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2007-08 से 2021-22 तक, नया सवेरा योजना - निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के तहत नामांकित/प्रशिक्षित लाभार्थियों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
		छात्रों की संख्या (लाभा न्वित)	छात्रों की संख्या (लाभा न्वित)	छात्रों की संख्या (लाभा न्वित)	छात्रों की संख्या (लाभा न्वित)	छात्रों की संख्या (लाभा न्वित)	छात्रों की संख्या (लाभा न्वित)	छात्रों की संख्या (लाभा न्वित)	छात्रों की संख्या (लाभा न्वित)	छात्रों की संख्या (लाभा न्वित)	छात्रों की संख्या (लाभा न्वित)	छात्रों की संख्या (लाभा न्वित)	छात्रों की संख्या (लाभा न्वित)	छात्रों की संख्या (लाभा न्वित)	छात्रों की संख्या (आबंटित)	छात्रों की संख्या (आबंटित)
1	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	185	650	100	50	200	300	2260	3650	640	2160	260	400	500	400	400
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	90	0	150	500	1100	150	200	280	30	0	0	50	100	0	0
5	बिहार	0	0	100	500	1000	400	50	0	0	0	0	100	100	0	0
6	चंडीगढ़	0	50	0	0	0	0	80	0	290	260	250	50	190	50	50
7	छत्तीसगढ़	80	90	50	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100
8	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	473	541	500	0	0	356	1057	50	2014	265	645	328	50	0	0
11	गोवा	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	गुजरात	0	100	0	50	0	125	150	50	560	0	618	550	600	200	200

26	पंजाब	160	50	220	0	0	0	0	0	0	0	600	300	300	200	200
27	राजस्थान	1004	75	682	50	350	250	490	200	670	0	330	350	350	300	150
28	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	तमिलनाडु	0	0	0	150	50	150	100	0	0	0	450	200	200	0	0
30	तेलंगाना								1150	1140	1540	1750	0	0	0	0
31	त्रिपुरा	0	100	0	40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	उत्तर प्रदेश	675	685	150	225	980	1695	2110	1185	2448	1550	945	2600	2500	2300	1640
33	उत्तराखंड	0	0	0	30	50	120	100	30	30	50	0	0	0	0	0
34	पश्चिम बंगाल	0	623	2050	50	1200	500	700	250	1580	760	200	740	590	500	550
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	4097	5522	5532	4845	7880	6716	9997	8168	16427	8110	11862	10097	9580	5300	5140
